पत्रांक–7/फा0–11–01/2012– 60 (7) 08

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
(सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक : 29–10–2012

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0002–राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड– N2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्तें तथा अन्य मद में कुल ₹1,64,33,780/–(एक करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0– 16(7)ब दिनांक–24.4.12, 40(7)ब दिनांक–7.9.12 एवं मांग पत्रों के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्तें तथा अन्य मद में कुल ₹1,64,33,780/–(एक करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0002–राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी विधिवत यहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र / व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी० भी० नं० एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 60 (4)01 पटना, दिनांक : 29-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी / सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित फाईलेरिया नियंत्रण उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	सामग्री एवं प्रांतीयां (21–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भोजपुर (आरा)	1100000	605000	110000	19800	19800	1854600	0	0	0	1854600	70/13.8.12
2	दरभंगा	1200000	660000	120000	21600	21600	2023200	0	0	0	2023200	218/17.8.12
3	रोहतास	3000000	1650000	300000	54000	54000	5058000	0	0	0	5058000	150/31.7.12
4	पूर्णिया	1000000	550000	100000	18000	18000	1686000	0	0	0	1686000	64/6.9.12
5	भागलपुर	560000	308000	56000	10080	10080	944160	8000	6000	5000	963160	471/10.9.12
6	बिहारशरीफ,नालन्दा	1200000	660000	120000	21600	21600	2023200	0	0	0	2023200	244/18.7.12
7	मुंगेर	880000	484000	88000	15840	15840	1483680	0	10000	0	1493680	172/10.8.12
8	कटिहार	790000	434500	79000	14220	14220	1331940	0	0	0	1331940	103/4.8.12
	कुल	**9730000**	**5351500**	**973000**	**175140**	**175140**	**16404780**	**8000**	**16000**	**5000**	**16433780**	

(एक करोड़ चौसठ लाख तैतीस हजार सात सौ अस्सी) रू0 मात्र

29/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

60(7)6
29-10-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	93529000	79295000	9730000	89025000	4504000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	51441000	43612250	5351500	48963750	2477250
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	9353000	7929500	973000	8902500	450500
4	परिवहन भत्ता (01–05)	433000	305000	0	305000	128000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1707000	1427310	175140	1602450	104550
6	अन्य भत्ता (01–07)	1752000	1427310	175140	1602450	149550
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**158215000**	**133996370**	**16404780**	**150401150**	**7813850**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	500000	137500	0	137500	362500
8	यात्रा व्यय (11–01)	500000	250000	0	250000	250000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	350000	175000	8000	183000	167000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	90000	45000	0	45000	45000
11	दूरभाष (13–03)	50000	25000	0	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	30000	15000	0	15000	15000
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	125000	0	125000	875000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	66000	33000	0	33000	33000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	550000	49200	0	49200	500800
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	500000	250000	16000	266000	234000
17	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
18	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	200000	100000	5000	105000	95000
	कुल योगः–	**162052000**	**135201070**	**16433780**	**151634850**	**10417150**

60 (7) 05

29-10-12

सरकार के संयुक्त सचिव